पत्रांक–12 / अ.4–52 / 2008..... /

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
पूर्वी क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
15, नीलकंठ नगर, नयापल्ली,
भुवनेश्वर–751012

रांची, दिनांक..... /

विषयः– **ए0आर0एस0 बी0एड0 कालेज, लकड़ाखन्दा, बोकारो को बी0एड0 की पढ़ाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक–2773 दिनांक–22.12.2009 के आलोक में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या–402 दिनांक–12.02.2007 एवं संशोधित संकल्प संख्या–2671 दिनांक–15.05.2010 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ए0आर0एस0 बी0एड0 कालेज, लकड़ाखन्दा, बोकारो को शिक्षक प्रशिक्षण (बी0एड0) की पढ़ाई प्रारंभ करने के निमित्त पूर्वी क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर से मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ सैद्वान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है:–

1. विभागीय संकल्प संख्या–402 दिनांक–12.02.2007 की कंडिका 6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप इस संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नही दिया जायेगा। संस्थान को उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन एवं पूर्णतः स्व वित्तपोषित कार्यक्रम की शर्त के साथ यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि संस्थान प्रशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित नियमों एवं प्रावधानों का पालन करना होगा तथा प्रशिक्षण हेतु नामांकन के लिए राज्य के आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

3. विभागीय संकल्प संख्या–402 दिनांक–12.02.2007 की कंडिका 4 में निहित प्रावधानों के अनुरूप यह संस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर, उड़ीसा से शर्तरहित प्रस्वीकृति पत्र एवं संबंधित विश्वविद्यालय / झारखंड अधिविद्य परिषद् से संबधन प्राप्त करने के बाद ही यह प्रशिक्षण संस्थान अपने महाविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

4. नामांकन की चयन सूची राज्य के शैक्षणिक आरक्षण नीति के आधार पर की जायेगी तथा प्रत्येक कोटि का मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची संस्थान के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर जनसाधारण के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के संदर्भ में संस्थान की जांच स्वयं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कराकर संतुष्ट होने के उपरांत ही मान्यता संबंधी कार्रवाई करेंगे।

6. राज्य सरकार को संस्थान द्वारा किसी भी बिन्दु पर अनियमितता के संबंध में यदि प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो राज्य सरकार नियमानुसार संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक–12 / अ.4–52 / 2008 3024 / रांची, दिनांक 14-6-10 /